न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पिठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल आर.एस.ए.)

प्रकरण संख्या– 119/2022
दायर दिनाक– 15/12/2022
निर्णय दिनाक– 20/08/2025

अनवान

1. भगवानलाल पिता गोकल माली निवासी पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. भैरुलाल पिता देवकिशन गाडरी निवासी पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. उदीबाई पत्नि स्व0 देवकिशन गाडरी निवासी पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. नानीबाई पिता देवकिशन गाडरी निवासी पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – श्री मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से– श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता

दिनांक – 20/08/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा0 का0 अ0 (अमेण्डेडमेन्ट एक्ट 2010)

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा0 का0 अ0(अमेण्डेडमेन्ट एक्ट 2010) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ग्राम पनोतिया की सीमा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 259 व 560 रकबा 02 बीधा 11 बिस्वा भूमि सटमा स्थित होकर उक्त आराजीयात उत्तर में आराजी संख्या 559 व दक्षिण दिशा की ओर आराजी संख्या 560 स्थित हैं। प्रार्थी की आराजी संख्या 560 के दक्षिण दिशा की ओर विपक्षीगण की आराजी संख्या 514 स्थित हें तथा आराजी संख्या 514 के दक्षिण दिशा की ओर सरकारी आम रास्ता विघमान हैं। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 559 व 560 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु आराजी संख्या 514 के दक्षिण में स्थित आम रास्ता से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 514 के पश्चिम दिशा की ओर स्थित कुंए के पास से होकर आराजी संख्या 514 के पश्चिम पाली से दक्षिण से उत्तरी से हाकर अपनी आराजीसंख्या 560 व 559 में रास्ते के रुप में उपयोग उपभोग करते हुए प्रवेश करता है तथा यही होकर प्रार्थी अपने हल, बैल, बैलगाडी एवं ट्रेक्टर इत्यादि साधन सुविधा वर्षो पुर्व से लाता एवं ले जाता है जो

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अपने पुर्वजों के समय से ही उक्त कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्विधन रुप से साधिकार पुर्वक करता चला आ रहा हैं। आराजी संख्या 514 वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने एवं कब्जे में होने से विपक्षीगण जबरन भुजबल के आधार पर प्रार्थी को उक्त कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान रुकावट बाघा कारित करते है तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी संख्या 560 व 559 के उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने में रास्ते में रुकावट बाघा कारित कर रहे है तथा प्रार्थी की अपनी उक्त दोनों आराजीयात में आने जाने एवं उपयोग उयभोग हेतु उक्त कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विधमान नही हैं। उक्त रास्ते को विपक्षीगण द्वारा जबरन बाड कर बंद कर दिया जाता हैं। या हाक कर फसल इम्यादि काश्त कर लेते हैं इस प्रकार प्रार्थी का उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में आये दिन भारी व्यवधान कारित करते रहते हैतथा इस वर्ष भी प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने एवं हल, बैल, बैलगाडी इत्यादि लाने जाने हेतु व्यवधान कारित किया गया। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 559 व 560 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने में एवं भूमियों के काश्त करने इत्यादि हेतु आराजी संख्या 514 के पश्चिमी पाली पर 12 बारह फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता हैं। जिस निमित प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खेतों के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है तथा न्यायालय आप द्वारा रास्ते के एवंज में उक्त 12 फीट चौडाई एवं सम्पुर्ण लम्बाई के रास्ते कास जो भी प्रतिकर न्यायालय द्वारा विहित किया जायेगा उसे प्रार्थी तुरन्त अदा करने हेतु तैयार व तत्पर रहेगा उक्त कदीमी रास्ते को प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेश में रास्ते के रुप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं।जिस निमित प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।आराजी संख्या 514 विपक्षी संख्या 02, 03 के नाम पर एवं कब्जा वर्तमानद में विपक्षीगण का होने से एवं विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग में बांधा रुकावट कारित किये जाने से उक्त प्रार्निा पत्र उनके विरुद्व प्रस्तुत किया जा रहा हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को लगातार उक्त के उपयोग उपभोग में रुकावट बाध विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को लगातार उक्त रास्ते के उपयोग में रुकावट बाध कारित की है तथा आज से 10 दिन पुर्व विपक्षीगण ने प्राथी को उक्त रास्ते से आने जाने बाध कारित कर रोका जिससे प्रार्थना पत्र का हेतुक आज 10 दिन पुर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। **अतः प्रार्थना है** कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 560 व 559 में आने जाने हल,बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर,इत्यादि लाने ले जाने हेतु आराजी संख्या 514 के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पश्चिमी दिशा की ओर स्थित पाली पर 12 फिट चौडा रास्ता दक्षिण से उत्तर विपक्षीगण से दिलाये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया विपक्षी संख्या 03 बावजुद सुचना तामील के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 के विवरण में ग्राम पनोतिया की आराजी संख्या 559 प्रार्थी के स्वामित्व की न होकर खातेदारी की है स्वामित्व आबादी की भूमियों में होता है एवं कृषि भूमियों में खातेदारी अधिकार होते है एवं स्वामित्व का अधिकार राज्य सरकार में निहीत है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में आराजी संख्या 560 के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 514 होना व 514 के दक्षिण दिशा की ओर राजस्व रास्ता होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 559 व 560 में बेलगाडी, ट्रेक्टर फसल बोने के बाद आराजी संख्या 293 से सीधा आराजी संख्या 516 में प्रवेश कर आराजी संख्या 516 के पश्चिमी पाली के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ आराजी संख्या 560 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आराजी संख्या 560 में बेल व पैदल आने – जाने के रूप में पगडण्डी का उपयोग करते एवं 516 में फसल कट जाती तब आराजी संख्या 293 से आराजी संख्या 516 की पूर्वी पाली के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 560 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर अपनी आराजी में प्रवेश करता था। प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ते को आराजी संख्या 516 के खातेदार ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया जिससे प्रार्थी ने डरकर आराजी संख्या 560 में आने – जाने के लिए विपक्षी की आराजी से रास्ते की मांग की गई, प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता मौजूद है प्रार्थी को सुखाधिकार आराजी संख्या 516 से उत्पन्न हो चुके है ऐसी स्थिति में प्रार्थी आराजी संख्या 515–514 से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी की आराजी संख्या 515 के छुट की जगह से होकर शार्टकट सीधा रास्ता भी आराजी संख्या 293 से 515 में प्रविष्ठ कर आराजी संख्या 514 की पश्चिमी पाली के सहारे 560 में प्रवेश कर सकता है किन्तु प्रार्थी ने 515 के खातेदारान को पक्षकार भी नही बनाया गया एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 514 में काफी लम्बाई व चौडाई का रास्ता प्राप्त करने का आवेदन पेश किया गया विपक्षीगण गरीब काश्तकार है उसके पास बहुत कम भूमि है उस में से 02 बिश्वा 04 बिश्वांसी भूमि रास्तें चले जाने की स्थिति में विपक्षीगण को भुखे मरने की नौबत आ जायेगी इसका भावी जीवन बुरी तरफ से प्रभावित होगा विपक्षीगण की सम्पूर्ण आजिविका खेती पर निर्भर है पहले से अत्यन्त कम भूमि होने के बावजूद भी उसमें से 02 बिश्वा व 04 बिश्वांसी भूमि का क्षैत्रफल कम हो जाने की स्थिति में विपक्षीगण का सम्पूर्ण जीवन भवी पीढी तक बुरी तरह से प्रभावित होगा जबकि आईएलआर दिनांक 27/07/2013 को एक पर्चा मौका बनाय गया जिसमें आराजी संख्या 514 के पूर्वी पाली के सहारे डोटेड लाईन दर्शायी गयी जिसमें भी 01 बिश्वा 05 बिश्वांसी भूमि क्षैत्रफल की कमी आ रही है,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आईएलआर ने दिनांक 08/07/2013 का पर्चा मौका बनाया गया उसके अनुसार आराजी संख्या 514 के 02 बिश्वा व 04 बिश्वांशी भूमि प्रभावित हो रही है, जबकि नक्शें मौके में आराजी संख्या 516 के पूर्वी पाली के सहारे धोरा अंकित है साथ ही धोरे के सहारे अपने हल बैल लेकर आराजी संख्या 560 में जाता था एवं 516 में फसल नही होने की स्थिति में हल, बैलगाडी ले जाता था न्यायालय आप द्वारा दिनांक 08/07/2013 के पर्चा मौका को निरस्त करते हुए पुनः तहसीलदार महोदय को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर आईएलआर ने दिनांक 23/07/2013 को आराजी संख्या 514 के पूर्वी पाली के सहारे वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया। जिसका क्षैत्रफल 01 बिश्वा 05 बिश्वांशी है प्रार्थी अपने कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग विपक्षीगण की आराजी में से होकर कभी नही किया गया। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है विपक्षीगण ने अपने जवाब की कलम संख्या 03 में विस्तृत विरण दिया गया है जिसमें इस कलम का जवाब देने की आवश्यकता नही रहती है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05, 06 व 07 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का 10 दिन पूर्व कोई हेतुक उत्पन्न नही हुआ है, प्रार्थी के अनुसार आराजी संख्या 514 के पश्चिमी पाली पर 12 फिट चौडे रास्ते को अवरूद्व किये जाने पर हेतुक उत्पन्न होना वर्णित किया गया जबकि आईएलआर के पर्चा मौके दिनांक 08/07/2013 आराजी संख्या 514 के पश्चिमी पाली पर 05 पेड खडे होना बताया गया एवं पूर्वज बावजी का स्थान बताया गया ऐसी स्थिति में पूर्वजों के स्थान व पेडों को छोडकर रास्ता दिये जाने में प्रार्थी के लिए भी रास्ता बहुत लम्बा होगा एवं विपक्षीगण की आराजी का क्षैत्रफल 02 बिश्वा एवं 05 बिश्वांशी भूमि प्रभावित होगी जो विपक्षीगण के लिए भी उत्पन्न दुखद स्थिति कारित होगी एवं प्रार्थी के लिए भी काफी लम्बा रास्ता होगा। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 का विवरण कानुनी होकर जांच से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र का कोई मुल्याकंन निर्धारित नही किया गया जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है धारा 141 सीपीसी प्रकिर्ण कार्यवाही में लागु होती है उसमें जो प्रकिया वादी के विषय में संहिता के उपबन्धित है। वे प्रकीर्ण कार्यवाहियों में भी लागु है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना प्रार्थी मिथ्या होने से प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण वर्तमान मौका रिपोर्ट हेतु नियत की उभय पक्ष द्वारा तहसीलदार रेलमगरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी को आराजी संख्या 560 व 559 में जाने के लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है कृर्षि फसल समेटने के लिए रास्ते की आवश्यकता हैं। प्रार्थी के खेत के आराजी संख्या 560 व 569 में जाने के लिए ओर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त आराजीयात के आस पास उत्तर पुर्व एवं पश्चिम में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हैं। दक्षिण में आराजी संख्या 293 में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रास्ता है जिससे आराजी संख्या 514 में से ही होकर आराजी सख्या 560 व 569 में जाना सम्भव है आराजी सख्या 514 व 560 के पश्चिम में आराजी संख्या 516 में पानी का धोरा बना हुआ है आराजी संख्या 560 में जाने के लिए आराजी संख्या 514 के पुर्वी मडे के सहारे सहारे दो गठा चौडा व 15 गठा लम्बा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाश गया है। प्रस्तावित रास्ते में पडे इत्यादि नही हैं। फसल कपास काश्त है जिससे अप्रार्थी को 30 किलो. कपास के नुकसान की सम्भावना हैं। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1500 रुपये होगी। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 15 गठा व चौडाई 2 गठा होगी इस तरह कुल 1.5 विस्वा भूमि का रकबा प्रभावित होगा।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली, उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रेलमगरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी को आराजी संख्या 560 व 559 में जाने के लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है कृर्षि फसल समेटने के लिए रास्ते की आवश्यकता हैं। प्रार्थी के खेत के आराजी संख्या 560 व 569 में जाने के लिए ओर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त आराजीयात के आस पास उत्तर पुर्व एवं पश्चिम में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हैं। तथा उभय पक्ष द्वारा भी तहसीलदार रेलमगरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 के अनुसार प्रकरण निर्णित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

: : आदेश : :

अतः उभय पक्ष द्वारा तहसीलदार रेलमगरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही किये जाने पर सहमति प्रदान किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा0 का0 अ0 (अमेण्डेडमेन्ट एक्ट 2010) का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23/07/2013 व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ग्राम पनोतिया की सीमा में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 560 में जाने के लिए आराजी संख्या 514 के पुर्वी मडे के सहारे सहारे दो गठा चौडा व 15 गठा लम्बा रास्ता कुल 00.01.05 विस्वा भूमि को विपक्षी के कुल रकबे में से कम किया जाकर बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रहेगा। इसी के साथ तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 01 बिश्वा 05 विश्वांसी भूमि का नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से भूमि किमत की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार अदा की जावें तथा यदि मौके पर हरे वृक्ष इत्यादि हो तो उनकी भी नियमानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा